

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 1104/07

संस्थापन दिनांक:-03/09/07

फाईलिंग नं. 233504000052007

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

संजीवन पिता नरेश बसदेवा  
उम्र 30 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 22.08.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 26.07.2007 को समय दोपहर 03:00 बजे थाना आमला की परिसीमा से 10 किमी. पूर्व ग्राम रानाडोंगरी में फरियादी रज्जु के घुटने के नीचे उपर दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 26.07.2007 को दिन 3 बजे सायकिल से घर जा रहा था तभी उसे सुशीला के घर के सामने अभियुक्त संजीवन मिला और उसे मादरचोद तेरी बहन तूने भोले को क्यों नहीं दिया कहकर गंदी गंदी गालियां देने लगा। जिस पर उसने गाली देने से मना किया तो वह उस पर झूम पड़ा और उसके बांये पैर की पिंढली एवं टकना घुटने के नीचे उपर दांत से काट दिया। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट लिखाने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 253/07 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.07.2007 को समय दोपहर 03:00 बजे थाना आमला की परिसीमा से 10 किमी. पूर्व ग्राम रानाडोंगरी में फरियादी रज्जू के घुटने के नीचे उपर दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की? ”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

6 रज्जू (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना लगभग 6-7 साल पहले ग्राम रानीडोंगरी की सुशीला के घर के सामने की है। घटना के समय वह सायकिल से उसके घर आ रहा था तभी सुशीलाबाई के घर के सामने अभियुक्त संजीवन ने उसे गंदी गंदी गालियां दी जिस पर उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त एकदम से उसके उपर झूम गया जिससे वह गिर गया और गिरने से उसके पैर में सायकिल का पहिये का गोल वाला भाग लग गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो (प्रदर्श प्री-2) तथा मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर को भी प्रमाणित किया है।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-1) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 26.07.2007 को सीएचसी आमला में मेडिकल अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने आहत रज्जू का चिकित्सकीय परीक्षण किया था जिसके बांये पैर एवं जांघ पर तीन गढ़े हुए निशान पाये थे। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) को प्रमाणित भी किया है।

8 साक्षी सुशीलाबाई (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा साक्षी रज्जू (अ.सा.-3) द्वारा भी अभियोजन की संपूर्ण घटना का समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा फरियादी को पैर पर दांत से काटे जाने की बात से इनकार किया है।

9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ वाद विवाद किया जाना प्रमाणित होता है परंतु दांत से काटकर आहत/फरियादी को चोट आयी ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। स्वयं फरियादी रज्जू (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह सायकिल से गिर गया

था जिससे उसके पैर पर चोट आ गयी थी। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी रज्जु को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त संजीवन को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)